न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1519–दो/04 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–8–2004 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 145/अपील/02–03.

.....

1 बरकत अली तनय मोह0 अली

2 तश्यब अली तनय मोह0. अली

3 महयूब अली तनय बरकत अली

4 मुख्तार अली तनय बरकत अली

5 सरकार अली तनय बरकत अली

6 अफसर अली तनय बरकत अली

निवासी ग्राम महाडाड़ी, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

..... निगराकारगण

–विरूद्ध –

1. युसुफ अली
2. मुबारक अली

} दोनों पुत्रगण जमान अली

3. तौहीद अली तनय अहमद अली

निवासी ग्राम महाड़ाड़ी, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

.....गैर निगराकारगण

श्री शिव प्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री सुशील कुमार तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

आदेश

(पारित दिनांक 21. 10 , 2015)

निगराकारगण बरकतअली आदि द्वारा यह निगरानी कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 (जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जायेगा) के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे संहिता संबोधित कहा जायेगा) के अधीन प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक–1 युसुफ अली ने तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के न्यायालय में ग्राम महाडाड़ी, तहसील गुढ़ की भूमि खसरा क्रमांक 257/1क, 257/1ख, 262/1, 262/2 के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने जरिये प्रकरण क्रमांक 81/अ–27/2001–02 पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक हिस्सा वाट पुल्ली के अनुसार बटवारा आदेश 30.08.2002 पारित किया। (उक्त प्रकरण अप्राप्त है)। उक्त आदेश दिनांक 30.08.2002 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ के न्यायालय में प्रथम अपील क्रमांक 02/A/27/02-03 पेश की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.02.2003 द्वारा अपील समय–सीमा में प्रस्तुत न करने के कारण प्रथमतः खारिज की गई। इस आदेश दिनांक 14.02.03 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 02.08.04 द्वारा दूसरी अपील भी इस आधार पर खारिज कर दी गयी कि अपीलाण्ट क्रमांक–2 को तहसील न्यायालय की कार्यवाही की विधिवत सूचना थी और वह बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा, फलस्वरूप तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14.02.03 यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.04 से परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी।

3. निगरानी का मुख्य आधार यह बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील दायर करने हेतु समय–सीमा 45 दिन की है। तहसीलदार का आदेश 30.08.02 को पारित हुआ तथा अपील 11.10.02 को दायर हुयी। इस तरह अपील आदेश पारित होने के 41वें दिन ही दायर कर दी गयी थी और प्रश्नाधीन आदेश की

नकल लेने में 10 दिन का समय लगा, उसकी कटौती करने पर अपील 31वें दिन ही दायर कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश न्यायिक नहीं है व अधिकार विहीन है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्षों के तर्क सुने जाने के बाद अंतिम निर्णय में तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। संहिता की धारा 110 में नामांतरण के लिये तथा धारा 178 में खाता विभाजन (बटवारा) के लिये विधान व व्यवस्था है, उक्त दोनों कार्यवाहियों के संबंध में अलग–अलग नियम निर्मित है। तहसीलदार न्यायालय में अपीलार्थी को कोई सम्मन अथवा सूचना नहीं दिया गया। विवादित भूमि की फर्जी पुल्ली व प्रतिवेदन बनवा करके रेस्पा. के नाम आदेश दिनांक 30. 08.02 पारित किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया। पुल्ली में किसी भी अपीलार्थी के न तो हस्ताक्षर हैं और न सहमति या स्वीकृति दी गई है। अतः निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जाये।

4. आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक श्री शिव प्रसाद द्विवेदी तथा अनावेदक की ओर से श्री सुशील कुमार तिवारी, अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया। यह भी बताया कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही तथा आदेश नियम विरुद्ध व अवैधानिक है। अभिभाषक द्वारा यह भी बताया कि तहसील गुढ़ का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.08.02 है। आवेदक क्रमांक–2 को इसकी जानकारी दिनांक 28.09.02 को खसरा की नकल लेने पर हुई तथा दिनांक 30. 09.02 को नकल हेतु आवेदन दिया। नकल दिनांक 10.10.02 को प्राप्त हुयी तथा प्रथम अपील दिनांक 11.10.02 को दायर की गयी। इस प्रकार प्रथम अपील 41 दिन में जो अपील अवधि (समय–सीमा) में दायर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अवधि की गणना किस आधार पर की गयी है स्पष्ट नहीं है। अतः अधीनस्थ न्याायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

5. गैर निगराकार अभिभाषक द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्को का खण्डन करते हुये बताया कि तहसील न्यायालय में अपीलार्थी क्रमांक–2 तैयब अली को पक्षकार बनाया गया है, जिसकी तामीली उसे विधिवत करायी गयी, उसके सूचना उपरांत उपस्थित नहीं होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। इश्तहार का विधिवत प्रकाशन किया गया था, जिसमें सरपंच, पंच, ग्रामवासी एवं अपी. क्रमांक–2 के हस्ताक्षर हैं। अपी. क्रमांक–2 तइयब अली तहसील न्यायालय में इसलिये उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि विवादित भूमियों से उसका कोई संबंध नहीं रहा। अतः निगरानी निरस्त की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश यथावत रखा जाये।

6. मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया। तहसीलदार गुढ़ का प्रकरण क्रमांक 81/अ–27/01–02 अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुआ है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गुढ़ को दिनांक 03.09.04 को वापस किया जाना पाया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 439/प्रवा./2014 दिनांक 23.08.14 द्वारा लेख किया है कि उक्त प्रकरण दाखिला सूची क्रमांक 32 दिनांक 21.02.05 के द्वारा राजस्व अभिलेखागार में जमा किया गया है, किन्तु प्रकरण राजस्व अभिलेखागार से अप्राप्त है। तहसीलदार गुढ़ का आदेश एवं पुल्ली की सत्यापित प्रति अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न है। अना. अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निगरानीकर्ता द्वारा व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तहसील न्यायालय के आदेश को रद्द नहीं किया गया तथा तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने भी अपील निरस्त की है। उक्त निर्णय की छायाप्रति पेश की गयी।

7. निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने उक्त बिन्दु के खण्डन में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील नम्बर 1321/10 दायर है, अपील की छायाप्रति भी पेश की गयी। यह भी बताया गया कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2009 में निर्णय की कण्डिका 8 में ऐसा निर्णित किया गया है कि संहिता की धारा 257 के अधीन व्यवहार न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है और राजस्व न्यायालय में

मामला लंबित है, ऐसी स्थिति में नामांतरण की कार्यवाही को शून्य घोषित करने के लिये व्यवहार न्यायालय सक्षम नहीं है।

8. इस न्यायालय के समक्ष निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.04 के विरुद्ध दायर की गयी है, जिसमें मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दोनों अपीलीय न्यायालयों निगरानीकर्ता की अपील को अवधि बाह्य मानकर जिन आदेशों से निरस्त किया गया है, वह आदेश कायम रखने योग्य हैं या नहीं?

9. मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं उपलब्ध अभिलेखों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय की नस्ती के अनुसार उनके न्यायालय में अपील प्रकरण क0 2/अ–27/02–03 दिनांक 11.10.02 को इसी दिनांक के अपील आवेदन के आधार पर संस्थित हुआ था, तथा विचारण न्यायालय तहसीलदार गुढ़ द्वारा उनके प्र0क0 81/अ–27/01–02 में आदेश दिनांक 30–8–2002 को पारित किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के अभिलेख में अवलोकनीय है। इन दोनों दिनांकों में 42 दिन का अंतर है। वर्ष 2002 में संहिता की (वर्ष 2011 में हुये संशोधन के पूर्व) धारा 47(क) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को अपील 45 दिवस की अवधि में होनी चाहिये थी। यह बात भी विचार योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनका आदेश 14.2.2003 को एवं अपर आयुक्त द्वारा उनका आदेश 2.8.2004 को पारित किया गया, जो दोनों ही तारीखें संहिता में हुये संशोधन के पूर्व की हैं जब उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये 45 दिवस की म्याद थी। ऐसे में, उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इस प्रकरण में तहसीलदार के निर्णय के बाद 42वें दिन अपील दायर हुई होने के बावजूद, इन दोनों न्यायालयों ने किस आधार पर उसे समय बाधित मानकर अपील निरस्त की है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरे मत में यह इन दोनों न्यायालयों की गंभीर भूल रही है, जिसकी वजह से न्याय का प्रयोजन विफल एवं विलंबित हुआ है।

10 उपरोक्त के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त रीवा द्वारा उनके प्रकरण कमांक 145/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 2–8–2004 एवं अनुविभागीय अधिकारी, गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 2/अ–27/02–03 में पारित आदेश दिनांक 14–2–2003, इन दोनों अधिकारियों के द्वारा म्याद के संबंध में पारित किये गये गलत निर्णयों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये, एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ। साथ ही अपर आयुक्त, रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक145/अपील/02–03 पुनः खोलें तथा उसमें गुणदोष के आधार पर नये सिरे से बोलता हुआ आदेश पारित करें।

प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हों ।

दा0द0 हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर